न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-57/2014

1- नत्थूसिंह पुत्र करणसिंह
2- गोविन्दसिंह पुत्र करणसिंह } जाति राजपूत निवासी तिहावली तहसील
3- महीपालसिंह पुत्र करणसिंह } फतेहपुर जिला सीकर।
4- कमलेशकंवर स्त्री करणसिंह

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- मंगेजकंवर स्त्री जसवन्तसिंह---- फौत हजफ
2- भंवरसिंह
3- मदनसिंह } पुत्रगण जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी तिहावली
4- लादूसिंह } तहसील फतेहपुर जिला सीकर{राज0}
5- महेन्द्रसिंह
6- दूलसिंह
7- भंवरकंवर पुत्री जसवन्तसिंह स्त्री भगतावरसिंह जाति राजपूत निवासी मुनसरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ{राज0}

8- सुगनकंवर स्त्री किशनसिंह उर्फ किनकसिंह
9- देवीसिंह पुत्र किशनसिंह उर्फ किनकसिंह

10-बबिता कंवर आयु-15 वर्ष } पुत्री हजारीसिंह नाबालिगान जरिये प्राकृतिक
11-कविताकंवर आयु-12 वर्ष } संरक्षक देवीसिंह पुत्र किशनसिंह उर्फ किनकसिंह

12-पन्नेसिंह पुत्र किशनसिंह उर्फ किनकसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी तिहावली तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।

13-सायरकंवर पुत्री किनकसिंह स्त्री श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी सनाली तहसील व जिला चूरू{राज0}

14-सुमेरकंवर पुत्री किनकसिंह स्त्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी सनालि तहसील व जिला चूरू ।

15- गिरवरसिंह } पुत्रगण करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहावली
16- धर्मपालसिंह } तहसील फतेहपुर जिला सीकर{राज0}
17- शक्तिसिंह

18- कैलाश कंवर पुत्री करणसिंह स्त्री रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू{राज0}

---रेस्पोन्डेन्टस---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
17-11-1994 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी, सीकर ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री नोपाराम जांगिड़ एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्ट सं0 1 से 3 के पिता एवं अपीलान्ट सं0-4 ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घो--षणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रति--वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । जिसमें विसालसिंह के पुत्र जसवन्तसिंह किनकसिंह, कर्णसिंह, किशोरसिंह एवं नाहरसिंह पुत्र हुये ।जिसमें किशोरसिंह के फौत होने पर उसका पुत्र कमलसिंह है । विवादित आराजी ख0नं0 269/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा 5 बिस्वा, 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम तिहावली वादी सं0-1 व 2 के कब्जा काश्त व हिस्से की है ।ख0नं0 164 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा ग्राम तिहावली में 9 बीघा 4 बिस्वा पर वादी सं0-1 का कब्जा काश्त है।उक्त आराजी में से किशोरसिंह व नाहरसिंह ने अपने हि0 की जमीन गुलाम मोहम्मद व्यापारी एवं रमजानधोबी को बेच दी। शेष भूमि पर वादी सं0-1 का कब्जा है ।ख0नं0 108 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 270 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 390 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा पर कब्जा वादी का है ।किन्तु संयुक्त खातेदारी में होने से प्रतिवादी बेदखल करने की धमकी देने पर यह दावा किया । जिसमें प्रतिवादी सं0-1 व 2 ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट का दावा डिक्री किये जाने योग्य होते हुये भी खारिज करने में कानूनी भूल की है ।विवादित आराजी ख0नं0 269/1, 164, 108, 390, 270 तन ग्राम तिहावली अपीलान्ट सं0-1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या-15 से 18 के पिता कर्णसिंह व अपीलान्ट के ससुर किशोरसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से7 के पिता जसवन्तसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या- 8 से 14 के पिता व पूर्वज किशानसिंह उर्फ कनकसिंह की खुद काश्त की भूमि थी ।जिसका स्पष्ट अंकन जमाबन्दी/खतौनी सम्वत 2010 में है । परन्तु जागीर रिज्यूम होने पर खुद काश्त भूमि की खाते-दारी अपीलान्ट के पूर्वज कर्णासिंह व रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 7 के पिता जसवन्त सिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या- 8 से 14 के पिता व पूर्वज किशानसिंह उर्फकिनकसिंह के हक में अंकित न होकर राजस्व कर्मचारियों की गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 14 के पिता/पूर्वज जसवन्तसिंह व किनकसिंह के हक में अंकित हो गया ।योग्य अदालत मातहत ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखकर आदेश पारित किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत में राजीनामा पेश कर दिया राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक कर दिया, शहादत पेश करने के लिए अवसर चाहा किन्तु अदालत मातहत ने शहादत पेश करने का अवसर न देकर दावा विधि विरूद्ध खारिज कर दिया। जबकि राजीनामा लिखित में पेश किया पक्षकारों की पहचान उनके वकीलों द्वारा की गई । इसके बाद राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा तस्दीक किये जाने के बाद अदालत मातहत को मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री न कर कानूनी भूल की है ।योग्य अदालत मातहत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने पर उनके अधिवक्ता ने कह दिया कि अब आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अपीलान्ट संख्या-1 से 5 के पिता/पति कर्णसिंह, कमलसिंह - न्यायालय में नहीं गये और ना ही उनके वकील ने उन्हें कोई सूचना दी।इसके बाद वादीगण एवं

प्रतिवादी सं0-जसवन्तसिंह व कमलसिंह का देहान्त हो गया । वादीगण कर्ण सिंह व कमलसिंह के हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0-15 से 18 बहैसियत काश्तकार काबिज है ।किन्तु दिनांक 27-4-2014 को विवादित आराजी पर अपीलान्ट को काश्त नहीं करने के लिये रेस्पोडेन्ट सं0-2 व 3, व 9 ने मना कर दिया । जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड की नकल लेकर अपने वकील से मिलकर निर्णय के बारे में दिनांक 2-5-2014 को जानकारी की जिस पर प्रमाणित नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 7-5-2014 को प्राप्त हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद धारा -96 सीपीसी एवं दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।अतः अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।नकल जमाबन्दी सं0-2045 से 2048 में आराजी खसरा नं0 269/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी जसवन्तसिंह पुत्र विशाल सिंह, 6 बीघा 5 बिस्वा किनकसिंह पुत्र विशालसिंह, रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कौम राजपूत दर्ज, गंगुराम,अमानाराम पुत्र किशनाराम से रोकडी 4 बीघा 9 बिस्वा सा0देह रमजान पुत्र गफूरखां कौम धोबी 7 बिश्वा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अनुसार ख0नं0 164 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा जसवन्त सिंह पुत्र विशालसिंह, 6 बीघा 10 बिस्वा किनकसिंह पुत्र विशालसिंह, 2बीघा 14 बिस्वा परवतसिंह पुत्र कल्याणसिंह, 3 बीघा 10 बिस्वा जाति राजपूत, गुलाब मोहम्मद पुत्र दुला व्यापारी कौम मुसलमान सा0 देह, 4 बीघा 15 विश्वा रमजान पुत्र मूनीर कौम धोबी सा0 देह, 4 बीघा 9 बिस्वा खातेदारी में अंकित है ।जमाबन्दी के अनुसार ख0नं0 108 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0

पि0 विशालसिंह कौम राजपूत बहिस्ता बराबर खातेदारी में अंकित है । पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ है और प्रकरण में राजीनामा होने पर किसी कानूनी बिन्द पर खारिज ने कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने की सूरत में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है । विवादि आराजी का राजस्व रेकार्ड पेश किया जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट खातेदार दर्ज है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही पूर्वज विशालसिंह के वंशज है । अदालत मातहत में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 व 2 ने राजीनामा पेश किया । पक्षकारों की उनके अभिभाषकों ने पहचान की है पहचान करने के बाद न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामा को तस्दीक किया है ।लोक अदालत की भावना के अनुसार राजीनामा होने पर आर0आर0सी0 1997 पेज-63 के अनुसार आदेश-23 नियम-3 सीपीसी-के-- के अनुसार-- अगर राजीनामा लिखित में है तथा वादी/रेस्पोडेन्ट का क्लेम स्वीकार किया गया है तथा हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी को उनके वकीलों ने पहचान किया जाकर कोर्ट द्वारा राजीनामा तस्दीक किया है तो न्याया--लय को पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित करनी चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय में केवल चालू जमाबन्दी के अलावा कोई रेकार्ड पेश नहीं करने के कारण दावा खारिज किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरित है ।प्रस्तुत नजीर के अनुसार राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने लोक अदालत की भावना के विपरित आदेश पारित किया है। जिसे हम यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते बल्कि पक्षकारों मध्य हुये राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय दिनांक 17-11-1994 खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है । पक्षकार अदालत मातहत में दि0 28-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय मेरे इजलास आज दिनांक 31.7.2018 को सुनाया गया

31/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर